जेपीडी–6/356

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर

पत्र कमांक/जेपीडी /मु.ले(ले.क.रा.)/राजस्व/प्रत्रा. 16(xii)B/प्रे. 1816 दिनांक 27-7-

परिपत्र

विषयः– वर्ष 2012–13 में निर्धारित किये गये उपखण्डवार माहवार राजस्व लक्ष्य की वसूली के संदर्भ में।

....

जैसा कि आपको विदित है विद्युत वितरण निगम वर्तमान में गंभीर वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है। बैंक द्वारा भी समय पर ऋण प्रदान न करने तथा कठिन शर्तों की पालना हेतु दबाव बनाने के कारण यह संकट और भी गंभीर हो गया है। ऐसी परिस्थिति में एक ही विकल्प शेष बचता है कि पत्र संख्या क्र. जेपीडी/मुलेरा(लेकरा)/राज./पत्रा. 16(xii)B/प्रे. 1478 दि. 22.06.12 द्वारा वर्ष 2012–13 में उपखण्डवार माहवार निर्धारित किये गये राजस्व लक्ष्य की पूरी वसूली करना सुनिश्चित करें। निर्धारित किये गये राजस्व लक्ष्य की वसूली की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित सहायक अभियन्ता व सहायक राजस्व अधिकारी की होगी।

अप्रेल से जून 2012 तक की राजस्व वसूली को देखने से लगता है कि समय–समय पर दिए गए दिशा निर्देशों के बावजूद भी बकाया उपभोक्ताओं के समय पर सम्बन्ध विच्छेद नहीं किये जा रहे हैं, सरकारी विभागों (पीएचईडी विभाग सहित) से भी बकाया वसूली के लिए कोई प्रयत्न नहीं किये जा रहे है, तथा ना ही PDC उपभोक्ताओं से EUDR व LR Act के तहत कार्यवाही की जा रही है जो कि एक चिन्ता का विषय है। अब निगम स्तर पर हर माह उपखण्ड के द्वारा प्राप्त की गई राजस्व की तुलना निर्धारित किये गये राजस्व लक्ष्य से की जाएगी। यदि राजस्व वसूली, राजस्व लक्ष्य से कम आती है तो सम्बन्धित सहायक अभियन्ता व सहायक राजस्व अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

वृत्त अधीक्षण अभियन्ता व लेखाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि हर माह की आगामी 30 तारीख तक हर उपखण्ड की तुलनात्मक राजस्व वसूली की स्थिति मय दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध की गई कार्यवाही सहित मुख्य लेखाधिकारी (ले.क.रा.) व मुख्य अभियन्ता (O&M) को सूचना भिजवाई जाना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही पाये जाने पर वृत्त अधीक्षण अभियन्ता व लेखाधिकारी के विरूद्ध भी कार्यवाही की जावेगी।

(कुंजी लाल मीणा)
अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक

Hindi letter (seema folder)